

कार्यालय आदेश-88

कार्यालय आदेश-87 के अनुक्रम में अनुदान संख्या 52-चिकित्सा शिक्षा के बजटीय समीक्षा (Budgetary review) के संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि संबंधित दल उप महालेखाकार/लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह-2 के पर्यवेक्षण में काम करेगा। उप महालेखाकार/लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह-2 के अनुमोदन के बाद, यह बजटीय समीक्षा आगे की कार्रवाई के लिए उप महालेखाकार/लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह-5 को सौंपी जाएगी।

In continuation of the order issued regarding the Budgetary review of Grant No. 52 - Medical Education, as per Office Order-87, it's informed that the concerned party will work under the supervision of Deputy Accountant General/Audit Management Group-2. Upon approval by Deputy Accountant General/Audit Management Group-2, this budgetary review will be handed over to Deputy Accountant General/Audit Management Group-5 for further action.

(प्रधान महालेखाकार महोदय के आदेश से जारी)

हस्ता/-

उप महालेखाकार/प्रशासन

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम) म.प्र., ग्वालियर ।
2. उप महालेखाकार/प्रशासन, ए.एम.जी.-1,2,3,4,5 ।
3. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-11,12,13,14, AIC-I, II & III, गोपनीय कक्ष, विधि कक्ष, रिपोर्ट, रिपोर्ट-पी.ए.सी., हिंदी कक्ष, सामान्य अनुभाग, कार्यपालन शाखा, ए.पी.डी.ए.सी. एवं एस.एम.यू., कल्याण कक्ष ।
4. स.ले.प.अ. (DAG Cell)/ ए.एम.जी.-1,2,3,4,5 ।
5. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आई.एस.विंग को इन्टरनेट/इंट्रानेट पर अपलोड करने हेतु ।
6. श्री उत्कर्ष यादव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी/सचिवालय उ.म.ले. (प्रशासन) को इन्टरनेट सम्बन्धी कार्य हेतु ।
7. संबंधित कार्मिक ।
8. सूचना पटल/गार्ड फाइल ।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-11